न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 241—दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.1.11 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 162/2009—10/अपील.

श्रीमती शीलरानी पुत्री श्री जगन्नाथ सिंह पत्नीश्री सुरेन्द्रपाल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम खॉडोली तहसील जौरा, जिला मुरैना

--- आवेदक

विरुद्ध

- 1— मेहताब सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह मृत वारिसान
 - (i) शांति देवी पुत्री मेहताब सिंह
 - (ii) नरेन्द्र पुत्र मेहताब सिंह
 - (iii) मुन्नी कुशवाह पत्नी श्री अशोकसिंह कुशवावह
 - (iv) मिथलेश भदौरिया पत्नी श्री रामकरन सिंह भदौरिया
 - (v) श्रीमती रेखा धाकरे पत्नी श्री सुधीर सिंह धाकरे
- 2— राजाबेटी पुत्री जगन्नाथ सिंह वारिस नरेन्द्रसिंह पुत्र मेहताब सिंह निवासी ग्राम खॉडोली मजरा लोकमन का पुरा, तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.
- 3- देव कुंअर विधवा पत्नी जगन्नाथ सिंह
- 4— रामनारायन पुत्र जगन्नाथसिंह निवासीगण आदर्श विद्यालय के पीछे तुलसी कॉलोनी गनेश पुरा मुरैना
- 5— बच्चूसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह आदर्श विद्यालय के पीछे, तुलसी कॉलोनी, गली नं. 3 गनेश पुरा मुरैना म.प्र.
- 6— श्रीमती शकुंतला पुत्री जगन्नाथ सिंह पत्नी सुशील कुमार म. नं. 6 जी / 12 महावीर नगर — 3 कोटा राजस्थान ——— अन

- अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक । श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 5 से 6. श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक क. 2 से 3.

ः आदेशः (आज दिनांक ०७, क्रायसे, १०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक

162/2009—10/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.1.11 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गईं हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी जगन्नाथ सिंह के स्थान पर वारिसाना नामांतरण हेत् आवेदन दिया । उक्त आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया । राजस्व मंडल द्वारा आदेश दिनांक 6-3-1983 द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण वापिस जानी पर अनावेदकों के मध्य राजीनामे के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दिकनांक 14—12—92 को सहमती के आधार पर अनावेदक क. 1 मेहताब सिंहका नामांतरण किया गया । इस आदेश के विरूद्ध पुनः प्रकरण राजस्व मंडल तक आया । राजस्व मंडल ने निग. कमांक 1177-एका / 06 में दिनांक21.7.09 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया । राजस्व मंडल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने राजाबेटी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसों को रिकार्ड पर लिया गया एवं पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15.6.10 द्वारा अपील अमान्य की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय मे द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ इस प्रकरण में उभयपक्षों को दिनांक 17—12—14 को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु लिखित बहस केवल आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई है । अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से लिखित बहस में दिए गए आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण से संबंधित है । प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 31.8.77 को नामांतरण के आदेश दिए गए,

जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया, इसके बाद प्रकरण पूर्व में राजस्व मंडल तक आया और राजस्व मंडल से प्रकरण अनुपस्थिति मे निरस्त होने पर प्रकरण विचारण न्यायालय में जाने पर अनावेदक के बीच सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तहसील न्यायालय में पृष्ठ 189, 190 पर राजीनामा और उसके बाद बच्चूसिंह, रामनारायण सिंह, श्रीमती देवकुंअर के कथन संलग्न है । जिनमें उन्हांने अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को मृतक जगन्नाथ का वारिस बताते हुए नामांतरण किए जाने की बात कही है और उनका नामांतरण आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है, तहसीलदार ने उसी आधार पर नामांतरण आदेश दिया है । उन्होंने अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 के विरूद्ध व्यवहार वाद कमांक 159/85 ई.दी. जिसका बाद में नंबर 23/1989 ई.दी. हुआ और उसमें अनोदक क्रमांक 3 लगायत 6 द्वारा अपने को मृतक जगन्नाथ के वैध वारिस न बताते हुए भूमि से कोई संबंध न होना बताया इसी आधार पर वाद वापिस होकर और उसको आधार मानकर तहसीलदार ने आदेश पारित किया, जिसकी पृष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस पुनरीक्षण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर